

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्रीमान श्री सार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजेश मिश्रा के नाम से 60 पर दयाचन्द ही रहा है जबकि आधार कार्ड में उसका नाम दयाचन्द शर्मा है यह है कि राजेश मिश्रा का भगलोकत किया गया मुताबिक (भामावन्दी संख्या 2077) से स्थायी के खाता सं० 60 पर सार्थीका नाम दयाचन्द पुत्र राधेश्याम ब्राह्मण दर्ज है, सार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गतावेध आधार कार्ड में सार्थी का नाम दयाचन्द शर्मा पुत्र राधेश्याम दर्ज है अतः सार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गतावेध आधार कार्ड के आधार पर सार्थी का नाम दयाचन्द शर्मा पुत्र राधेश्याम है तथा दयाचन्द शर्मा पुत्र राधेश्याम दर्ज किया जाना उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार
 25/9/25
 22 जीपलवाडा

महोदय,

मुताबिक रिपोर्ट पटवार हल्का पीपलवाडा एवं भू.अ.नि. नि. वृत्त - पीपलवाडा के आधार पर दयाचन्द के स्थान पर दयाचन्द करने में अनुशंसा की जाती है।

कर्मग्राम पंचायत (रि.नु.52) पीपलवाडा दिनांक 25/9/2025
 तहसीलदार (रि.नु.52) पीपलवाडा दिनांक 25/9/2025

54
 25-9-25

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व नायब तहसीलदार पीपलवाडा के आधार पर नाम सुपुत्र के अर्थ में अवलोकन पर आवेक का नाम पूर्णतः अलग है जो सम्मानजनक नाम के परिपत्र अनुसार सुपुत्र के नाम पर उचित नहीं है। आवेक अस्वीकृत किया जाता है।

उप जिला कलेक्टर
 बौली, जिला सवाई माधोपुर
 बौली

